राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (B-567) अलेसे– I/1695   दिनांकः–01/01/24

श्री भगवान सहाय बैरवा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I,
कार्यालय कोषाधिकारी,
दूदू।

कारण बताओ नोटिस

विषयः– इस निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1177 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा दिये गये अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय में कार्य सुचारू रूप से नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः– पुलिस अधीक्षक, दूदू का पत्रांक 561–64 दिनांक 08.12.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 1177 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा आपको कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दूदू का अतिरिक्त कार्य दिया गया था, किन्तु प्रासंगिक पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आप राजकार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं तथा अधिकांशतः अवकाश पर रहते हैं, जिसके कारण नवगठित जिले का कार्य संपादित नहीं हो रहा है। आपका यह कृत्य गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में पत्र प्राप्ति के पांच दिवस में अपना स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रस्तुत करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध राजकीय आदेशों की अवहेलना किए जाने [redacted] सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः– एफ.2 (क) (B-567) अलेसे– I/1696-97   दिनांकः–01/01/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक, दूदू को उनके पत्रांक 561–64 दिनांक 08.12.2023 के क्रम में।
2. कोषाधिकारी, दूदू।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)